संख्या- 44/2016/457 /अड़तीस-9-16-500(16)/2016

प्रेषक

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 31 अगस्त, 2016**

विषय-विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कतिपय प्रकरणों में शासन के संज्ञान में आया है कि मा0 विधान मण्डल के सदस्यों की अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी उनके द्वारा संस्तुत कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जा रही है तथा कार्य प्रारम्भ किये जा रहे है, जो कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त के प्रस्तर-3.9 का उल्लघंन है।

2- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रस्तर-3.9 में निम्नवत् व्यवस्था है:-

"मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्य के किसी भी कारण परिवर्तित होने या उनके स्थान रिक्त होने की स्थिति में या संविधान के अनुसार विधान सभा की अवधि अवशेष होते हुये भी त्याग-पत्र देने की स्थिति में पूर्ववर्ती मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्य द्वारा अभिज्ञापित यदि कोई कार्य निर्माणाधीन है, तो उसे तो पूरा किया जायेगा, किन्तु कोई भी नया कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा और नये कार्यों के सापेक्ष कोई धनराशि किसी भी दशा में अवमुक्त नहीं की जायेगी, चाहें उन्होंने अपना प्रस्ताव रिक्त होने के पूर्व ही सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करा दिया हो और चाहें सक्षम प्राधिकारी ने उसे स्वीकार भी कर लिया हो।"

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रस्तर-3.9 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 44/2016/457(1) /अड़तीस-9-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त् निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

3- गार्डबुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।